*283. [*The Questioner (Shri Kameshwar Paswan) was absent. For answer vide col. 28 infra*]

Ban on mining in the Sariska Tiger Reserve Area

*284. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the vast majority of the mine owners have resumed marble mining operations in violation of the Supreme Court's order banning mining in the Sariska Tiger Reserve area; and

(b) if so, what action has been taken/ proposed to be taken by Government for resumption of marble mine operations in defiance of the Supreme Court's orders?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) राजस्थान राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के किसी उल्लंघन की कोई सूचना नहीं दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डा॰ बापू कालदाते: महोदया, यही जवाब आएगा, ऐसा समझकर मैं चल रहा था।

उपसभापति: तो आपने सवाल क्यों किया?

डा॰ बापू कालदाते: महोदया, मैं जानता था कि यही जवाब आएगा क्योंकि इस मसले में कई नेता हैं, कई बिजनैसमैन हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये सब मिलकर अगर राजस्थान में इल्लीगल माईनिंग करते हैं तो आप तो यही कहेंगे कि उधर से कुछ नहीं आया। मैं आपसे विशेष तौर पर दो-तीन सवाल पहले पूछ लेता हूं। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इसके बारे में कुछ फैसला दिया? अगर फैसला दिया तो उस फैसले में इनको माईनिंग बैन करने के लिए कहा या नहीं कहा? इसी से दूसरा सवाल यह उत्पन्न होता है कि अक्टूबर में वह बैन हो गये और उसके बाद आपसे क्लियरेंस लेना चाहिए था। तो आप से किसी ने, चाहे राजस्थान की सरकार हो या और कोई हो, उसके लिए क्लियरेंस लिया? अगर नहीं लिया है तो क्या आपने देखा है कि वहां माईनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, यह पहले हमको बताइये तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं।

श्री कमल नाथ: मैडम, माननीय सदस्य ने जो पहली बात कही कि इसमें नेता और उद्योगपति शामिल हैं...(**व्यवधान**)

डा॰ बापू कालदाते: आप जानते हैं उनके नाम।

श्री कमल नाथ: मुझे बहुत कुछ जानकारी है पर कुछ ऐसी भी जानकारी है जो मुझे नहीं है। तो कृपा करके माननीय सदस्य मुझे यह जानकारी दे दें। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, एक रिट पिटीशन फाईल हुआ था, जो श्री तरुण भरत सिंह ने फाईल किया था अप्रैल 1991 में और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक आर्डर पास किया कि इस क्षेत्र में माईनिंग ऐक्टिविटी बैन की जाएगी। इसमें कुछ ऐसा भी क्षेत्र था जो प्रोटेक्टेड फोरेस्ट नहीं था पर सरिस्का टाईगर रिजर्व में आता था। वहां 4 महीने तक माईनिंग करने की इजाजत थी और 4 महीने के अंदर हमारे मंत्रालय को इसका फैसला करना था। हमारे मंत्रालय ने इस बारे में एक समिति बनाई। इस समिति को जो बहुत लंबी और चौड़ी जांच करनी थी, वह लंबी-चौड़ी जांच हुई और उसके बाद इस समिति ने एक रिपोर्ट दी है जिस पर विचार किया जा रहा है। जो 4 महीने का समय था, हमारे मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को इस टाईम को और बढ़ाने का निवेदन किया है।

डा॰ बापू कालदाते: आपकी जो एम॰ ई॰ पी॰ टी॰ की कमेटी थी, जो कमल चौधरी की अध्यक्षता में आपने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है कि वहां माईनिंग नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि उस पर अपील करेंगे। मैंने पहले जैसा कहा, वहां 30 अक्टूबर को माईनिंग बैन हो गई, बाई आर्डर बैन हो गई लेकिन मैं आप से पूछता हूं कि तिलवाड़ी में माईनिंग क्यों चल रही है? मैं आप को नाम बताता हूं, उनके सर्वे नंबर बताता हूं, लीज आर्डर्स बताता हूं। राकेश मौणा नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका लीज नंबर 1770/91 है।

आपके पास ब्रज किशोर शर्मा हैं, उनके रिश्तेदारी में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उनका नम्बर है 264/88 और 265/88। इसी तरह से प्रदीप पारीख हैं जिनका नम्बर है 148/87 और 307/87। यह बहुत बड़े लोग हैं यह भी मैं कहता हूं। मेरा यह सवाल है कि आपके पास शिकायत नहीं है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां

*The Question was actually asked on the floor of the House by Dr. Bapu Kaldate.

जाकर देख कर आये हुए लोगों का यह कहना है कि वहां की माइनिंग का काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट के बेन के बाद आज भी जारी है। जहां से राजस्थान सरकार को सारा मिलाकर 150 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलना है। सरकार को रायल्टी नहीं मिलेगी जो राजथान सरकार को मिलनी चाहिए अगर इल्लीगल है तो। एक तो सरकार का नुकसान हो रहा है, इल्लीगल पैसा कमा रहे हैं और फिर आप हम को कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार हम को बताती नहीं है। मैं आप से पूछ रहा हूं क्या केन्द्रीय सरकार इसकी जांच करायेगी और हम को बतायेगी कि वहां की जो माइनिंग है वह इल्लीगल है या लीगल है? अगर इल्लीगल है तो इसको बेन करने के लिए आप क्या करेंगे?

श्री कमल नाथ: मैडम, जहां तक लीगल और इल्लीगल का प्रश्न है माइनिंग लीज जो होती है यह राज्य सरकार ही देती है। हमारे मंत्रालय की सीमा केवल फोरेस्ट एरिया और जो इकोलोजिकल संसेटिव एरियाज हैं और कानून के अन्तर्गत आते हैं....

डा॰ बापू कालदाते: एनवायरनमेंट की बात कह रहा हूं।

श्री कमल नाथ: एनवायरनमेंट तो यहां भी है। एनवायरनमेंट सब जगह है। मैं कानून की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

उपसभापति: आप सुनिए तो सही।

डा॰ बापू कालदाते: ऐसे नहीं चलेगा। एनवायरनमेंट डिसरप्शन अगर होता है तो यह आपकी जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kaldate, please sit down. Let him speak. This is not the way. Please let him speak.

SHRI KAMAL NATH: Madam, I am not shirking anything. I am just trying to explain, through you, to the hon. Member that as far as these mining leases are concerned these are granted by the State Government. As far as my Ministry is concerned, it is concerned with the environmental aspects and the Forest Conservation Act. If the mining leases are outside the area of the Forest Conservation Act and do not fall under any notified area, then my Ministry cannot give any lease. I want to make this matter very clear.

Madam, in the Supreme Court order there were 180 mines which were not ordered to be closed down then and there. They were given four months time to operate. Within this time they had to get in touch with my Ministry and make an application. My Ministry was to consider whether they could continue beyond that period or not. After that my Ministry set up a Committee and several officers visited that site. We are examining this issue. This issue is not only ecological but there are various dimensions of it. There are the dimensions of labour, workmen, etc. This mining has been going on for a long time. On the other hand, there is the aspect of preserving the Sariska Tiger Reserve. It is under enormous pressure. We are keeping both these things in mind. We have to take a considered decision. We have gone through many details. I have personally held many meetings with the State Government. We are seized of the matter. We have appointed a Kamal Choudhary Committee, specifically for this purpose. The Kamal Choudhary Committee brought out certain points. We have to consider those points.

DR. BAPU KALDATE: Did the Committee report say that this mine should be closed down?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kaldate, please.

SHRI KAMAL NATH: The report of the Kamal Choudhary Committee is being considered by my Ministry. There are several dimensions of it. These dimensions are not only relating to its closure but these are relating to labour and workmen also. All these aspects have to be considered in totality. As soon as they are considered in totality, we will take a decision and get back to the Supreme Court.

श्रीमती कमला सिन्हा: महोदया, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उनका मकसद, उनका दायरा केवल

एनवायरनमेंट, पर्यावरण से सम्बन्धित है इसलिए मैं उसी सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहती हूं। यह सरिस्का टाइगर रिजर्वेशन प्रोजेक्ट के अंदर 500 मार्बल माइनिंग हो रही है। एक दो नहीं, पांच सौ हैं। मार्बल माइनिंग के समय में ब्लास्टिंग भी होता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि माइनिंग प्रोसेस में जंगल उजाड़े जा रहे हैं या नहीं? अगर ब्लास्टिंग होता है तो क्या यह ब्लास्टिंग की आवाज जंगली पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है? वह आवाज उनके जीवन के लिए क्या आवश्यक या उचित है, यह मैं जानना चाहूंगी। अगर नहीं है तो क्या मंत्री महोदय तत्काल जंगल के एरिया में जहां आपने टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट बनाया है, बड़े फन फेयर के साथ बनाया तो इस प्रक्रिया को बंद करने के लिए आप क्या करेंगे?

श्री कमल नाथ: मेडम, सरिस्का में बड़ा मार्बल और डोलोमाइट है। It is rich in marble and dolomite. 528 माइनिंग लीजज राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स के अन्तर्गत दी गई हैं। इसमें से 489 मार्बल की हैं और 39 लाइम स्टोन की हैं। माइनिंग यहां ओपन कास्ट मेथड से होती है और जब माइनिंग ओपन कास्ट मेथड से होती है तो यह बात सच है कि ब्लास्टिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। इसी को लेकर यह चिन्ता का विषय बना था एक एन॰ जी॰ ओ॰ सुप्रीम कोर्ट में गये। बहुत समय से यह बात चल रही थी। यह सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट हमारे लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टाइगर रिजर्व है। वहां के वाइल्ड लाइफ के लिए और वहां के सही प्रबन्ध के लिए माइनिंग जरूर उसको एट्रेक्ट करता है। इसलिए पहले प्रश्न के उत्तर में हमने बताया कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। इसका संबंध रोजगार से, पर्यावरण से है और टाइगर रिजर्व को सुरक्षित रखने के लिए यह कैसे किया जाये, इस पर अभी हम विचार कर रहे हैं।

श्री शिव चरण सिंह: माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि फोरेस्ट एक्ट और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इन दोनों एक्ट्स के अन्तर्गत बने हुए जो रूल्स हैं उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किस की है? राजस्थान में फोरेस्ट एक्ट और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का वायलेशन करते हुए वन विभाग के अन्दर जो अनिश्चित तौर पर बिना माइनिंग लीज लेते हुए खानें चल रही हैं, क्या उनकी आपको जानकारी है और अगर जानकारी है तो कितने एरिया में अनिश्चित खानें चल रही हैं, कृपया यह सूचना दीजिये।

श्री कमल नाथ: मेडम, फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। हमें सूचना और सहायता इसमें राज्य सरकार से देनी पड़ती है। काफी समय से, जब से 1980 से यह कानून बना, इसमें कई लोगों ने स्टे आर्डर प्राप्त किये हैं और कई माइनिंग्ज स्टे आर्डर के आधार पर चल रहे हैं। जहां तक वायलेशन का प्रश्न है, हमें सूचना कुछ मिली है और हम खुद भी समय-समय पर अपनी टीम भेज कर यह सूचना प्राप्त करते हैं। माइनिंग का जहां तक विषय है, इसमें जो माइनिंग लीज रिन्यू हुई हैं, फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बाद, यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का रिन्यूअल के लिए, इसमें फिर से केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता है। यह कानूनी फैसले से कई साल बाद हुआ। इसलिए इसमें बहुत सारी माइनिंग लीज थीं जो रिन्यू हो गई थीं। इसलिए इसमें कई साल से कार्यवाही नहीं हो पाई। अब इसकी कार्यवाही करी जा रही है।

श्री शिव चरण सिंह: मेरा कहना यह है कि इस एक्ट का कंप्लायन्स आपके विभाग ने नहीं किया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन के अन्दर कितनी बड़ी तादाद में अनिश्चित खनन हुआ है, आप कृपया उसकी जानकारी मंगवायें।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: महोदया, सुप्रीम कोर्ट ने जो समय दिया चार महीने का, क्या इस दौरान भी नये माइनिंग के लिए परमिशन दी गई है? अगर दी गई है तो क्यों दी गई है, इसके बारे में क्या सरकार को जानकारी है? जो पहले की माइनिंग चल रही है वह इतनी पुरानी है, इतने गहरे गड्ढे वहां पड़े हुए हैं कि उस जमीन का आप फोरेस्ट ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या इन बातों को ध्यान में रखते जो वर्षों से वहां माइनिंग का काम कर रहे हैं उनको वहां से हटा कर इस जमीन की रक्षा करने के लिए कोई योजना सरकार कार्यान्वित कर रही है?

श्री कमलनाथ: मैडम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कोई नयी माइनिंग लीज पर दी गयी है। अगर माननीय सदस्य के पास ऐसी जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दी गयी है तो मैं निवेदन करूंगा कि मुझे यह जानकारी दे दें।

जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि जो बहुत पुरानी खदानें चल रही हैं, वहां वनीकरण करना संभव नहीं है। प्रश्न, मैडम, उसका नहीं है। प्रश्न यह है कि जो प्रेशर टाइगर रिजर्व पर होता है, माइनिंग आपरेशन का टाइगर रिजर्व पर जो असर पड़ता है, उसका है जो आज एक गंभीर विषय है। अगर केवल यही प्रश्न होता कि उस जमीन पर माइनिंग अलाऊ कर दी जाये और दूसरी

जमीन कम्पनसेशन में ले ली जाये, यह आसान प्रश्न हो जाता है। इसलिये आज यह चिंता का विषय है कि हम सरिस्का टाइगर रिजर्व पार्क को कैसे सुरक्षित रखें। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इतने सालों से जिनका रोजगार इससे जुड़ा हुआ है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाये, यही मैंने पहले कहा कि इस पर विचार कर रहे है।

Invitation to Officers of who for Interacting with Tobacco Farmers of Andhra Pradesh

*285. SHRI MENTAY PADMANABHAM :†
SHRI V. HANUMANTHA RAO:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have extended any invitation to the officers of the World Health Organisation to visit Guntur, Krishna and West Godavari districts of Andhra Pradesh to meet and inter-act with tobacco farmers;

(b) if so, the details of such a programme; and

(c) if no invitation has been extended to World Health Organisation, reasons for not involving W.H.O. to study the immediate impact of forth-coming legal restraints on tobacco products?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The recommendations of the WHO are quite clear on the need for curbing consumption of tobacco and no further consultation is considered necessary.

उपसभापति : पूछिये, पूछिये आपके नजदीक ही बैठे है।

He is sitting next to you.

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Mentay Padmanabhan.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Madam, I cannot speak without your permission.

THE DEPUTY CHAIRMAN: My Permission is granted.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Madam, the question is related to tobacco consumption. It appeared in the Press that the Health Ministry was thinking in terms of bringing in a comprehensive legislation to curb tobacco consumption. Madam, it will result, ultimately, in imposing curbs on tobacco production also. In Andhra Pradesh, nearly 2,50,000 acres of land are being cultivated for tobacco production, another 40,000 to 50,000 acres are being used in Karnataka and, may be, some more land is being used for tobacco production in various other parts of the country. Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to whether he realised that while bringing in this legislation for curbing cosumption of tobacco products, he was going to create displacement of a number of farmers who are making their living out of tobacco production. Has he got any scheme to rehabilitate those people who will be displaced, who will be discouraged to produce tobacco in Andhra Pradesh and Karnataka? I am asking this because this is the real problem of the farmers. Recently, Madam, a number of farmers came to Delhi. They met the Prime Minister, other Ministers and a number of MPs also. I would like to know from the hon. Minister as to whether he has made any exercise, whether he has taken into consideration the plight of the farmers, who are producing tobacco, while bringing this legislation and part (b) of my question....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him answer part (a).

SHRI MENTAY PADMANABHAM: What are the salient features of the legislation which he is contemplating to bring?

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: